रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 1997/आश्विन 18, 1919

No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 1997/ASVINA 18, 1919

भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1997

सा. का. नि. 589(अ).—निम्नलिखित नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, 27, 64 धारा 86 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना की भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव संयुक्त सचिव (परिवहन) भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन भवन), नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में अन्तिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम निर्दिष्ट किया गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) में शीर्ष "पाठ्य विवरण" के अधीन सारणी के पैरा "ख के अधीन उपशीर्ष में "ख, उन्नत यान चालन कौशल और प्रशिक्षण" में "रात्रि के समय यान चालन" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"रात्रि के समययान चालन —आशापक प्रकाश अपेक्षाएं

—हैडलैम्प एलाइनमेंट

—डिप्ड बीम का उपयोग"

3. मूल नियमों के नियम 51 में, स्तम्भ 2 के सामने क्रम सं. 5 और 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर "पीछे और आगे की ओर के अंक और अक्षर" प्रविष्टि रखी जाएगी।

4. मूल नियमों के नियम 63 में, उपनियम (3) के खण्ड (ङ) में, "निष्कासक गैस" शब्दों के स्थान पर "निष्कासक गैस, इंजन ट्यूनिंग, इंजन विश्लेषण" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों का नियम 95 उसके उपनियम (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और

(क) इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) में,

(अ) सारणी के स्तम्भ 3 में,—

(i) टायर आकार 3.50 × 10, प्लाई रेटिंग 6, के सामने प्रविष्टि "375" के स्थान पर प्रविष्टि "420" रखी जाएगी;

(ii) टायर आकार 4.00 × 8, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "340" के स्थान पर प्रविष्टि "380" रखी जाएगी;

(iii) टायर आकार 4.00 × 8, प्लाई रेटिंग 6, के सामने प्रविष्टि "400" के स्थान पर प्रविष्टि "448" रखी जाएगी;

(iv) टायर आकार 4.00 × 10, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "370" के स्थान पर प्रविष्टि "414" रखी जाएगी;

(v) टायर आकार 4.00 × 10, प्लाई रेटिंग 6, के सामने प्रविष्टि "435" के स्थान पर प्रविष्टि "487" रखी जाएगी;

(vi) टायर आकार 4.50 × 10, प्लाई रेटिंग 6, के सामने प्रविष्टि "475" के स्थान पर प्रविष्टि "532" रखी जाएगी;

(vii) टायर आकार 4.50 × 10, प्लाई रेटिंग 8, के सामने प्रविष्टि "520" के स्थान पर प्रविष्टि "582" रखी जाएगी;

(viii) टायर आकार 2.75 × 10, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "150" के स्थान पर प्रविष्टि "169" रखी जाएगी;

(ix) टायर आकार 2.75 × 10, प्लाई रेटिंग 6, के सामने प्रविष्टि "160" के स्थान पर प्रविष्टि "179" रखी जाएगी;

(x) टायर आकार 3.00 × 10, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "175" के स्थान पर प्रविष्टि "195" रखी जाएगी;

(xi) टायर आकार 3.50 × 8, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "195" के स्थान पर प्रविष्टि "221" रखी जाएगी;

(xii) टायर आकार 3.50 × 10, प्लाई रेटिंग 4, के सामने प्रविष्टि "225" के स्थान पर प्रविष्टि "253" रखी जाएगी;

(xiii) सारणी में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

आकार	पी आर	अनुज्ञेय अधिकतम भार (किलोग्राम में)	
		सकल	दोहरा
(1)	(2)	(3)	(4)
7.00 आर 15	10	1145	1010
7.00 आर16	12	1325	1160
7.00 एक्स 16	14	1410	1250
7.51 आर 16	10	1260	—
7.50 आर 16	12	1530	1350
7.5 आर 16	14	1510	1440
9.00 एक्स 16	10	1530	—
एफ 78 एक्स 16	4	620	—
205/70 आर 15	—	690	—
2.75 एक्स 12	4	165	—
3.00 एक्स 12	4	192	—
100/90–10–56 जे	—	230	—
100/90–व्यास 19"	02	230	—
130/80–व्यास 17"	03	290	—

(आ) टिप्पण (i) में, "1988 का भा. मा. : 10914" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "भ. मा. : 10914 भाग 1 : 1991, भाग 2 : 1992, भाग 3 : 1991, भाग 4 : 1992 और भाग 5 : 1995" शब्द , अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(इ) टिप्पण (ii) का लोप किया जाएगा;

(क) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अधिकतम सकल यान भार और किसी यान की प्रत्येक धुरी का अधिकतम सुरक्षित धुरी भार, इसके आकार, प्रकृति और टायरों की संख्या को धन में रखते हुए और उपनियम (1) के अनुसार टायरों द्वारा ले जाने वाला अनुज्ञात अधिकतम भार, निम्न प्रकार होगा :—

(i) क्रमश: सकल यान भार और एक्सल भार का यान विनिर्माता रेटिंग जिसे सम्यकरूप से नियम 126 की अनुपालन के लिए परीक्षण अधिकरणों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, या

(ii) क्रमश: प्रत्येक यान का अधिकतम यान भार और अधिकतम सुरक्षित धुरी भार जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो; या

(iii) यान के एक्सलों में फिट किए गए टायरों के आकार और संख्या के लिए, जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, टायरों द्वारा ले जाने वाला अधिकतम अनुज्ञात कुल लदान,

इनमें जो भी कम हो :

परन्तु सभी प्रकार के यानों के संबंध में अधिकतम सकल यान भार जिसमें बहुधुरी यान भी सम्मिलित हैं, सभी सुरक्षित धुरी भारों की अधिकतम सीमा के कुल योग से अधिक नहीं होगा।

(3) राजमार्ग पर चलने के लिए कोई भी टायर 20 के अधिक प्लाई रेटिंग का नहीं होगा और ऐसा प्लाई रेटिंग न तो किसी यान विनिर्माता द्वारा विहित किया जाएगा और न ही इस प्रकार के वर्ग के यानों के उपयोगकर्ताओं द्वारा लगाया जाएगा।

(4) वाणिज्यिक यान संबंधी नियम 95 के उपनियम (3) से संबंधित जांच, जांच करते समय नियम 116 के उपनियम (1) में उपदर्शित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

6. नियम 96 के उपनियम (8) का लोप किया जाएगा।

7. मूल नियमों के नियम 98 में,—

(क) उपनियम (2) में "भा. मा. : 1222 (1987)" अक्षरा और अंकों के स्थान पर "भा. मा. : 12222 : 1987" अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ और शक्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति की तारीख को उसके पश्चात् विनिर्मित सभी भारी यात्री माल यानों में स्टीयरिंग गियर लगे होंगे"।

8. मूल नियमों के नियम 100 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खण्ड (i) में "जैसा कि आटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे द्वारा प्रमाणित है" शब्दों के स्थान पर "जैसाकि नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों द्वारा प्रमाणित है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (ii) में, "तीस डिग्री तक विस्तारित" शब्दों के स्थान पर "तीस डिग्री से अधिक" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (2) में "भा. मा. : 2553—भाग 2" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "भा. मा. : 2553—भाग 2—1992" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ के पश्चात् तीन महीने से ही कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न प्रत्येक मोटर यान के सामने का वायुरोधी कांच भारतीय मानक भा. मा.: 2553-भाग 2 : 1992 के अनुसरण में पटलित सुरक्षित कांच का बना हुआ होगा।"

9. मूल नियमों के नियम 101 के उपनियम (1) में, "या पदचालित" शब्दों का लोप किया जाएगा।

10. मूल नियमों के नियम 102 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) मोटरसाइकिलों से भिन्न सभी यानों पर यान को रोकने का आशय दो इलेक्ट्रिकल स्टाप लैम्पों द्वारा उपदर्शित होगा जिनका रंग लाल होगा और प्रत्येक यान के पृष्ठ भाग पर बाई और दाहिनी ओर लगे होंगे। स्टाप लैम्प सर्विस ब्रेक नियंत्रण के क्रियान्वित किए जाने पर जलेंगे। मोटरसाइकिल के मामले में, यान को रोकने का आशय मोटरसाइकिल के पृष्ठभाग पर एक स्टाप लैम्प द्वारा उपदर्शित होगा जो पिछले पहियों में लगे ब्रेकों के गति नियंत्रण के क्रियान्वयन पर जलेगा।"

11. मूल नियमों के नियम 104 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) 500 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाले इंजन के तीन पहियों से चलने वाले ट्रैक्टरों से भिन्न सभी ट्रैलरों में जिनमें सैमी ट्रैलर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित रिफलैक्स रिफलैक्टर लगाए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) आगे की ओर दो सफेद रिफलैक्स रिफलैक्टर जिनमें से प्रत्येक दाहिने और बाएं कोनों पर जमीन से 1500 मि. मी. से अनधिक ऊंचाई पर होंगे; और

(ii) पृष्ठ भाग में दो लाल रिफलैक्स रिफलैक्टर जिनमें से प्रत्येक दाहिने और बाएं कोनों पर जमीन से 1500 मि. मी. से अनधिक की ऊंचाई पर होंगे;

(iii) ऊपर निर्दिष्ट रिफलैक्टरों का क्षेत्रफल ऐसे ट्रैलरों के मामले में जिनकी सम्पूर्ण लम्बाई छह मीटर से अधिक है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और अन्य ट्रैलरों के मामले में यह सात वर्ग सैंटीमीटर से कम नही होगा।

12. मूल नियमों के नियम 104 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष पश्चात् इस नियम और नियम 110 में निर्दिष्ट रिफलैक्टर (भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट) भारतीय मानक भा.मा : 8339-1993 के अनुरूप रिफलैक्स किस्म के होंगे।"

13. मूल नियमों के नियम 105 में,—

(क) उपनियम (1) में,

(i) "यहां यथा उपबन्धित के सिवाय सूर्य अस्त होने के पश्चात् आधा घंटे और सूर्योदय से पूर्व आधे घंटे की अवधि के दौरान और किसी ऐसे समय जब इतना पर्याप्त प्रकाश नहीं है जिसमें आगे एक सौ पचपन मीटर की दूरी तक सड़क में व्यक्तियों और यानों की पहचान हो सके, सार्वजनिक प्रस्थान पर प्रत्येक मोटर यान में निम्नलिखित लैम्प (जिन्हें इसके पश्चात बाध्यकर हैड लैंप के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जलते हुए होंगे और वे कार्यक्षम स्थिति में होंगे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—"यहां यथा उपबन्धित के सिवाय सूर्य अस्त होने के पश्चात आधा घंटे और सूर्योदय से आधा घंटा पहले की अवधि के दौरान और किसी ऐसे समय जब पर्याप्त प्रकाश नहीं है, निम्नलिखित लैम्प (जिन्हें इसके पश्चात् बाध्यकर हैड लैम्प के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) जलते हुए होंगे और कार्यक्षम स्थिति में होंगे जो एक सौ पचपन मीटर आगे की दूरी पर सड़क में व्यक्तियों और यानों को स्पष्ट पहचान करा सकें :—"

(ii) खण्ड (क) में, "दो लैम्पों" के स्थान पर "यथास्थिति, दो लैम्प या चार लैम्प" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खण्ड (ख) में, "एक लैम्प" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, एक लैम्प या दो लैम्प" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में,—

(i) "एक मोटरसाइकिल और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दो लैम्प (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पृष्ठ लैम्प के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पीछे की ओर एक लाल प्रकाश दिखाएंगे जो पीछे एक सौ पचपन मीटर की दूरी से दृश्य हो और मोटरसाइकिल के मामले में एक लैम्प पीछे की ओर लाल प्रकाश देगा जो पिचहत्तर मीटर की दूरी से दृश्य हो।"

(ग) उपनियम (3) में, "भा मा : 8415" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, दो स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "भा मा 8415-1977" अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(घ) उपनियम (6) में, "गैर परम्परागत और असाधारण किस्म के" शब्दों के स्थान पर "जिसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं" शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख से ही, विनिर्दिष्ट सभी मोटर यानों में कम से कम एक लैम्प ऐसा लगाया जाएगा जो यान को पिछले गियर में चलाए जाने पर स्वत: जलकर पीछे की ओर सफेद प्रकाश फेंकेगा।

(घ) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) 500 घन सैंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाले इंजन के तिपहियों से भिन्न यानों के मामलों में जो ट्रेलरों के साथ संलग्न हैं, यान के पीछे की ओर लगाए जाने के लिए अपेक्षित सभी लैम्प ट्रेलर के पीछे की ओर लगाए जाएंगे।"

14. मूल नियमों के नियम 107 में,—

(क) "सामने की ओर प्रकाश दिखाने वाला" शब्दों के स्थान पर "सामने की ओर सफेद प्रकाश दिखाने वाला" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "बाएं कोने और पीछे" शब्दों के स्थान पर "पीछे की ओर लाल प्रकाश दिखाने वाला" शब्द रखे जाएंगे ।

15. मूल नियमों के नियम 110 में,—

(क) "दोनों ओर सफेद बत्तियों" शब्दों के स्थान पर "दोनों ओर सफेद या करूवा बत्तियां" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "पृष्ठ लैम्प जो पीछे की ओर लाल प्रकाश दिखाता है" शब्दों के स्थान पर "दो पृष्ठ लैम्प जो पीछे की ओर लाल प्रकाश दिखाते हैं" शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल नियमों के नियम 115 के उपनियम (2) की सारणी में पहले स्तम्भ के उपमद (i) के मद (क) में, "मुक्त त्वरण" प्रविष्टि के स्थान पर "केवल स्वाभाविक ढंग से एसपिरेटिड इंजन के लिए मुक्त त्वरण" प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी।

17. मूल नियमों के नियम 117 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष और तीन माह से विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान में एक गति मापी लगा होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा मा : 11827-1995 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।"

18. मूल नियमों के नियम 118 के उपनियम (1) में "विनिर्देशों के अनुरूप" शब्दों के स्थान पर "भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक भा मा : 10144-1981 के अनुरूप" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

19. मूल नियमों के नियम 119 के उपनियम (1) में, "प्रत्येक विनिर्मित मोटर यान में एक विद्युत हार्न या अन्युक्ति लगी होगी जो भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्दिशों के अनुरूप हो" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष की तारीख से ही प्रत्येक विनिर्मित मोटर यान में एक विद्युत हार्न या अन्य युक्ति लगी होगी जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा मा : 1884-1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

20. मूल नियमों के नियम 120 के उपनियम (2) में, "भा मा : 3028" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "भा. मा. : 3028-1980" अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

21. मूल नियमों के नियम 124 में,—

(क) उपनियम (1) में,

(i) "अधिसूचना द्वारा राजपत्र में मानक" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचना द्वारा राजपत्र में मानकों या मानकों के सुसंगत भाग" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) "और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर" शब्दों के स्थान पर "और इस प्रकार अधिसूचित तारीख से" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक विनिर्माता ऐसे पुर्जे/संघटक या उप-समंजनों के प्रोटोटाइप प्राप्त करेगा जिनके लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं, नियम 126 के अधीन अधिसूचित किसी अभिकरण द्वारा या केन्द्रीय संस्थान सड़क परिवहन, पुणे द्वारा या अधिसूचित भारतीय मानकों की अनुपालना के मामले में, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत किसी प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। ऐसे अनुमोदन के आधार पर प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 22 में इस नियम के उपबन्धों के अनुपालन को भी प्रमाणित करेगा।"

22. मूल नियमों के नियम 125 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा :—

"125क. भारतीय मानकों से भिन्न मानकों के अनुरूप संघटकों आदि का परीक्षण : जब कभी कोई पुर्जा/संघटक समंजन किसी यान में उपयोग किया गया है और जो ऐसे मानकों के अनुरूप है जो इन नियमों में अधिसूचित मानकों से भिन्न हैं जैसे कोई अन्तर्राष्ट्रीय मानक (जैसे ईईसी/ईसीई/आईईसी/आईएसओ आदि) या कोई विदेशी राष्ट्रिक मानक तो ऐसे पुर्जे/संघटक/समंजन, जो ऐसे मानकों के अनुरूप हैं, के उपयोग के लिए अनुज्ञा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

ऐसे मामलों में, नियम 126 के प्रयोजनों के लिए ऐसे पुर्जों/संघटकों/उप समंजनों की अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी राष्ट्रीय मानक से अनुपालना उद्भव के देश के प्राधिकृत प्रमाणकर्ता अभिकरण द्वारा या ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी राष्ट्रीय मानक के लिए प्रत्यायित प्रमाणकर्ता अभिकरण द्वारा स्थापित की जाएगी और नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण द्वारा जांच की जाएगी।

23. मूल नियमों के नियम 126 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तुक यदि किसी यान का कोई संघटक आदि प्रोटोटाइप के अनुमोदन के पश्चात् उपान्तरित किया गया है तो विनिर्माता अधिनियम के उपबंधों की अनुपालन के रूप में परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इन नियमों को पुन: विधिमान्य कराया जाएगा ।"

24. मूल नियमों के नियम 138 में,—

(क) शीर्ष में और उपनियम (1) में, "मोटर साइकिल" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "मोटर यान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यात्री कार में जिसमें सीट बैल्ट लगी हुई है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक और सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति चलते हुए यान में सीट बैल्ट पहने हुए हो।

(4) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष से प्रत्येक यान का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में निम्नलिखित वस्तुएं रखी हों, अर्थात् :—

(क) मोटर साइकिल से भिन्न यानों के मामले में, हैड लैम्प के लिए बल्बों का एक अतिरिक्त सेट और फ्यूज तथा उपयोग के लिए तैयार एक अतिरिक्त पहिया;

(ख) विनिर्माता द्वारा विहित रूप में एक औजार पेटी;

(ग) 150 मिलीमीटर आकार के चार त्रिभुजाकार जिनकी एक सतह पर यान के अटक जाने के मामले में यान के आगे और पीछे रखने के लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भा मा 8339–1993 के अनुसार लाल परावर्ती सतह हों (यह दुपहिया और तिपहिया से भिन्न यानों को लागू होता है);

(घ) प्राथमिक उपचार किट जिसमें एक निजर्मीकृत क्रीम की एक ट्यूब हो जो गैर ग्रीसीय आधार में 0-5 प्रतिशत सेंट्रीमाइड बी.पी. वाली हों, घावों और जलन के लिए निजर्मीकृत मरहमपट्टियां निजर्मीकृत इलास्टिक प्लास्टर, जलरोधी प्लास्टर, गाज और इलास्टिक पट्टी हो;

(ङ) चार पहियां वाहनों के लिए दो चौक ब्लाक।

(च) जब यान खराब हो गया है और इसकी मामूली मरम्मत, जैसे टायरों, फ्यूजों/बल्बों का बदला जाना, करनी हो उस समय तक जब तक इसे उस स्थान से हटाया जाता है, इसकी घेराबंदी के उपयोग के लिए परावर्तित रंगों से सम्यक् रूप से पेंट किए हुए प्लास्टिक के मोल्ड किए हुए चार घनीय कोन।

उपरोक्त सामान यान के विनिर्माता द्वारा यान के विक्रय के समय दिया जाएगा ।

(5) पी 45 टी कैप वाले हैलोजन बल्ब किसी भी यान की हैड लाइटों के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। 12 वी पद्धतियों के लिए 24 वी और 60/65 के लिए 70/75 से अधिक वाट के हैलोजन बल्ब नहीं होंगे।"

25. मूल नियमों से संलग्न प्ररूप 20 में मद संख्या 24 के सामने वाली प्रविष्टि में "संख्या, विवरण और टायरों का आकार" शब्दों के स्थान पर "संख्या, विवरण, टायरो का आकार और प्लाई रेटिंग (यह वही होगा जो विनिर्माता द्वारा घोषित किया गया है)" शब्द रखे जाएंगे।

26. मूल नियमों से संलग्न प्ररूप 22क के भाग 1 में, "विनिर्माता के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "चेसिस विनिर्माता के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे।

27. मूल नियमों से संलग्न प्ररूप 23 में मद संख्या 17 के सामने वाली प्रविष्टि में "संख्या, विवरण और टायरों का आकार" शब्दों के स्थान पर "संख्या, विवरण, टायरों का आकार और प्लाई रेटिंग (यह वही होगा जो विनिर्माता द्वारा घोषित किया गया है)" शब्द रखे जाएंगे।

28. मूल नियमों के उपाबद्ध IV के स्थान पर निम्नलिखित उपाबद्ध रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबद्ध IV —

[नियम 115(4) देखिए]

डीजल से चलने वाले यानों को लागू निष्कासक गैस अपारदर्शिता के सीमा मान इंजन का स्थिर गति पर परीक्षण

नामिक प्रवाह जी (1/एस)	मद अवशोषण गुणांक के (1/एस)	नामिक प्रवाह प्रवाह जी (1/एस)	मद अवशोषण गुणांक के (1/एस)
तक और इसमें यह भी सम्मिलित है			
42	2.26	120	1.37
45	2.19	125	1.345
50	2.08	130	1.32
55	1.985	135	1.3
60	1.9	140	1.27
65	1.84	145	1.25
70	1.775	150	1.225
75	1.72	155	1.205
80	1.665	160	1.19
85	1.62	165	1.17
90	1.575	170	1.155
95	1.535	175	1.14
100	1.495	180	1.125
105	1.465	190	1.095
115	1.395	195	1.08
		200 के समतुल्य और इससे अधिक	1.065

उपरोक्त मानक कृषि ट्रैक्टरों को लागू नहीं होंगे और उन्हें किसी पश्चात्वर्ती तारीख को कृषि ट्रैक्टरों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

[सं. आर टी-11028/7/96-एमवीएल]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1997

G.S.R. 589(E).— The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 12, 27, 64, sub-section (14) of section 86 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

The objections or suggestions may be sent to the Joint Secretary(Transport), Ministry of Surface Transport, Transport Bhavan, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

THE CENTRAL MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) RULES, 1997

1 (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule 1, under the heading "Syllabus", under sub-heading under the table in para "B. Advanced driving skills and training," for the entry "Night driving", the following shall be substituted, namely :-

"Night driving -mandatory lighting requirements.
-headlamp alignment
-use of dipped beam "

3. In rule 51 of the principal rules, for the entries in column 2, against serial numbers 5 and 6, the entry "rear and front numerals and letters" shall be substituted.

4. In rule 63 of principal rules, in sub-rule (3), in clause (e), for the words, "exhaust gas", the words "exhaust gas, engine tuning, engine analysis," shall be substituted.

5. Rule 95 of the principal rules shall be numbered as sub-rule (1) of thereof, and

(a) in sub-rule (1), as so numbered,

(A) in the table, in column 3,-

(I) against the tyre size 3.50X10, ply rating 6, for the entry "375", the entry "420" shall be substituted;

(ii) against the tyre size 4.00X8, ply rating 4, for the entry "340", the entry "380" shall be substituted;

(iii) against the tyre size 4.00X8, ply rating 6, for the entry "400", the entry "448" shall be substituted;

(iv) against the tyre size 4.00X10, ply rating 4, for the entry "370", the entry "414" shall be substituted;

(v) against the tyre size 4.00X10, ply rating 6, for the entry "435", the entry "487" shall be substituted.

(vi) against the tyre size 4.50X10, ply rating 6, for the entry "475", the entry "532" shall be substituted;

(vii) against the tyre size 4.50X10, ply rating 8, for the entry "520", the entry "582" shall be substituted;

(viii) against the tyre size 2.75X10, ply rating 4, for the entry "150", the entry "169" shall be substituted;

(ix) against the tyre size 2.75X10, ply rating 6, for the entry "160", the entry "179" shall be substituted;

(x) against the tyre size 3.00X10, ply rating 4, for the entry "175", the entry "195" shall be substituted;

(xi) against the tyre size 3.50X8, ply rating 4, for the entry "195", the entry "221" shall be substituted;

(xii) against the tyre size 3.50X10, ply rating 4, for the entry "225", the entry "253" shall be substituted;

(xiii) The following entries shall be inserted in the table, namely:-

Size (1)	PR (2)	Maximum Weight permissible (kg)	
		Single (3)	Dual (4)
7.00 R15	10	1145	1010
7.00 R16	12	1325	1160
7.00 X16	14	1410	1250
7.5 R16	10	1260	----
7.50 R16	12	1530	1350
7.5 R16	14	1510	1440
9.00 X 16	10	1530	----
F78 X 15	4	620	----
205/70 R 15	----	690	----
2.75 X12	4	165	----
3.00X12	4	192	----
100/90-10-56J	----	230	----
100/90 -Dia 19"	02	230	----
130/80 -Dia 17"	03	290	----

(B) In the note (i), for the letters, words and figures "IS:10914 of 1988" the letters, words and figures "IS:10914 Part 1:1991, Part 2:1992, Part 3:1991, Part 4:1992 and Part 5:1995" shall be substituted.

(C)The note (ii) shall be deleted

(b) after sub-rule (1),as so renumbered, the following shall be inserted, namely:-

"(2)The maximum gross vehicle weight and the maximum safe axle weight of each axle of a vehicle shall, having regard to the size, nature and number of tyres and maximum weight permitted to be carried by the tyres as per sub-rule (1), be-

(i) vehicle manufacturers rating of the gross vehicle weight and axle weight respectively as duly certified by the testing agencies for compliance of the rule 126, or

(ii) the maximum vehicle weight and maximum safe axle weight of each vehicle respectively as notified by government,or

(iii) the maximum total load permitted to be carried by the tyre(s) as specified in sub-rule (1) for the size and the number of the tyres fitted on the axle(s) of the vehicle,

whichever is less.

Provided that the maximum gross vehicle weight in respect of all vehicles, including multi axle vehicles shall not be more than the sum total of all the maximum safe axle weights put together.

(3) No tyre shall have a ply rating more than 20, for applications of on-highway and such ply rating shall not be prescribed by either vehicle manufacturer or employed by vehicle user on this class of vehicle."

(4)Check on sub rule (3) of Rule 95 on commercial vehicles will be conducted by authority indicated in sub rule (1) of Rule 116, while conducting the checks".

6.. Sub-rule (8) of rule 96, shall be deleted.

7.. In rule 98 of the principal rules,-

(a) In sub-rule(2), for the letters and figures "IS:1222(1987)" the letters and figures "IS:12222:1987" shall be substituted,

(b). After sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

"(4) On and after expiry of one year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules 1997, all heavy/medium passenger/goods vehicles manufactured shall be fitted with power steering gears."

8. In rule 100 of the principal rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (i), for the words "as certified by the Automobile Research Association of India, Pune." the words "as certified by the test agencies referred to in rule 126" shall be substituted.

(ii). In clause (ii), for the words "extending to thirty degrees", the word "more than thirty degrees" shall be substituted;

(b). in sub-rule (2) for the letters, figures and word, "IS: 2553 Part 2" the letters, figures and word "IS 2553 - Part 2 - 1992 " shall be substituted;

(c). after sub-rule (3) and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-
" Provided that on and from three months after the commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1997, the glass of the front wind screen of every motor vehicle other than agricultural tractors shall be made of laminated safety glass conforming to the Indian Standard IS:2553- Part 2:1992."

9. In rule 101 of the principal rules, In sub-rule 1, the words "or foot operated" shall be omitted.

10.. For the sub-rule (2) of the principal rules 102, the following shall be substituted, namely:-

"(2) On all vehicles other than motorcycles, the intention to stop the vehicle shall be indicated by two electrical stop lamps which shall be red in colour and shall be fitted one on each left and right hand sides at the rear of the vehicle. The stop lamps shall light up on the actuation of the service brake control. In the case of motorcycle, the intention to stop the vehicle shall be indicated by one stop lamp at the rear of the motorcycle which shall light up on the actuation of the control operating the brakes on the rear wheels."

11. For sub-rule (3) of rule 104 of the principal rules the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(3) All trailers including semi-trailers, other than those drawn by three wheeled tractors of engine capacity not exceeding 500cc shall be fitted with the following reflex reflectors, namely:-

(i) two white reflex reflectors in the front, one each at right and left corners at a height not exceeding 1500mm above the ground and,

(ii) two red reflex reflectors in the rear, one each at the right and left corners at a height not exceeding 1500 mm above the ground,

(iii) the area of the reflectors referred to above shall not be less than 28.5 sq.cm. in the case of trailers with overall length exceeding 6 meters and shall not be less than 7 sq.cm. in case of other trailers."

12. For sub-rule (4) of rule 104 of the principal rules, the following shall be substituted, namely:

"(4).One year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1997, the reflectors referred to in this rule and in rule 110 shall be reflectors of reflex type conforming to the Indian Standard IS:8339-1993 specified by the Bureau of Indian Standards ."

13. In rule 105 of the principal rules,-

(a) In sub-rule (1),

(i) for the words "Save as hereinafter provided, every motor vehicle while in a public place during the period during half an hour after sun set and half an hour before sunrise and at any time when there is not sufficient light to render clearly discernible persons and vehicles in the road at a distance of one hundred and fifty-five meters ahead, shall carry the following lamps (hereafter referred to as obligatory head lamps) kept lit and in an efficient conditions:-" the following words shall be substituted, namely:-

"Save as herelnafter provlded, every motor vehlcle, while In a public place, during the period during half an hour after sunset and half an hour before sunrise and at any times when there is not sufficient light, shall carry the following lamps (hereafter referred to as obligatory head lamps) kept lit and in an efficient conditions to render clearly discernible persons and vehicles in the road at a distance of one hundred and fifty-five meters ahead,:-"

(ii) In clause (a), for the words "two lamps", the words, "two lamps or four lamps, as the case may be" shall be substituted;

(iii) In clause (b), for the words "one lamp", the words, "one lamp or two lamps, as the case may be" shall be substituted;

(b) In sub-rule (2),-

(i) the words "a motorcycle and" shall be deleted.

(Ii) for clause (i) the following shall be substituted namely:-

" two lamps (hereinafter referred to as the rear lamp) showing to the rear a red-light visible in the rear from a distance of one hundred and fifty-five meters; and in the case of a motor cycle one lamp showing a red-light to the rear visible from a distance of seventy-five meters."

(c). in sub-rule(3), for the letters and figure "IS:8415", at two places wherever they occur, the letters and figures "IS:8415-1977" shall be substituted.

(d). in the sub-rule(6),for the words "of unconventional and extraordinary type" the words "including trailers" shall be substituted.

(e) for sub-rule(7), the following shall be substituted, namely:-

" (7) On and from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules 1997, every motor vehicle manufactured shall be fitted with at least one lamp which shall automatically be operated, throwing a white light to the rear, when the vehicle Is being drlven in the reverse gear.

(f) after sub-rule (7) the following shall be Inserted, namely:-

"(8) In the case of vehicles, other than three wheelers of engine capacity not exceeding 500cc, are attached with trailers, all the lamps required to be fitted on the rear of the vehicle shall be fitted at the rear of the trailer."

14. In rule 107 of the principal rules,-

(a)for the words "showing light to the front", the words "showing white light to the front" shall be substituted,

(b) for the words " left corner and the rear", the words "showing red light to the rear " shall be substituted.

15. In rule 110 of the principal rules,-

(a) for the words "two side white lights", the words "two side white or amber lights" shall be substituted,

(b) for the words " a rear lamp showing to the rear a red light", the words" two rear lamps showing to the rear red light" shall be substituted.

16. In rule 115 of the principal rules, in the table in sub-rule (2), in item (a), in subitem (i), in the first column for the entry "free acceleration", the entry " free acceleration only for naturally aspirated engine" shall be inserted.

17. In rule 117, for sub-rule (2) of the principal rules the following shall be substituted, namely:

"one year and three months from the date of commencement of the Central Motor Vehicle (Amendment) Rules 1997, every motor vehicle manufactured shall be fitted with a speedometer conforming to the requirements of IS:11827-1995 specified by Bureau of Indian Standards. "

18. In rule 118 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "conforming to the specifications of", the words, letters and figures "conforming to the Indian Standard IS:10144-1981 specified by Bureau of Indian Standards", shall be substituted.

19. In rule 119 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "every motor vehicle manufactured shall be fitted with an electric horn or other devices conforming the specifications of Bureau of Indian Standards", the words, letters and figures "On and from one year after Commencement of Central motor Vehicles (Amendment) Rules 1997, every motor vehicle manufactured shall be fitted with an electric horn or other devices conforming to the requirements of IS:1884-1992, specified by the Bureau of Indian Standards" shall be substituted.

20. In rule 120 of principal rules, in the sub-rule (2), for the letters and figures "IS:3028", the letters and figures "IS:3028-1980" shall be substituted.

21. In rule 124 of the principal rules,-

(a) In sub-rule (1),

(i) for the words "notification in the official Gazette the standards", the words "notification in Official Gazette the standards or the relevant part of the standards" shall be substituted,

(ii) for the words "and on publication of such notification", the words "and from the date so notified." shall be substituted.

(b) for sub-rule (2) the following shall be substituted, namely;-

"(2) Every manufacturer shall get the prototype of the part/component or subassembly for which standards have been notified, approved from any agency notified under rule 126 or Central Institute of Road Transport, Pune, or in case of compliance with notified Indian Standards from any laboratory duly authorized by the Bureau of Indian Standards. On the basis of such approval, every manufacturer shall also certify compliance with provisions of this rule in Form 22."

22. After rule 125, of principal rules, the following shall be inserted, namely:-

"125A Testing of components etc. Conforming to standards other than Indian Standards: Whenever a part/component/assembly is used in a vehicle complying with standards other than those notified in these rules such as an international standard (for e.g. EEC/ECE/IEC/ISO etc.) or a foreign national standard, permission for use of such parts/component/assembly complying with such standards shall be approved by the Central Government.

In such cases, the compliance of parts/ components/assemblies to such international/foreign national standard will be established for the purpose of Rule 126, by a certificate of compliance issued by an authorized certifying agency of the country of origin or by an accredited certifying agency for such an international/foreign national standard and vetted by a testing agency specified in rule 126.

23. In rule 126 of the principal rules, the following proviso shall be added, namely:-

" Provided that kwhere any component etc. of a vehicle after approval of the prototype is modified, the manufacturer shall get the certificate issued by the testing agency as to the compliance with the provisions of the Act and these rules revalidated..

24. in rule 138 of the principal rules,

(a) in the heading and in sub-rule (i) for the words 'Motor cycle', wherever they occur, the words 'Motor Vehicle ' shall be substituted.

(b) after sub-rule (2) the following shall be inserted, namely, :-

"(3) In a passenger car, in which seat belts have been provided it shall be ensured that the driver and the person seated in the front seat wear the seat belts while the vehicle is in motion.

(4) One year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1997, the driver of every vehicle shall ensure that the following items are carrled In the vehicle, namely:-

(a) In case of vehicles other than motorcycles, a set of spare bulbs for headlamp and fuses, and a spare wheel ready for use;

(b) tool kit as prescribed by the manufacturer;

(c) four triangles of size 150 mm with a red reflecting surface as per IS 8339-1993 specified by Bureau of Indian Standard, for keeping in front and rear of the vehicle in case the vehicle is stranded on the road (Applicable to vehicles other than two and three wheelers);

(d) first aid kit containing a tube of antiseptic cream containing 0.5% of Centrimide B.P. in a non-greasy base, sterilised dressings,sterllsed elastic plaster, water proof plaster, gauze and elastic bandage for wounds and burns,

(e) two numbers of chock blocks for four wheelers.

(f) Four cubical plastic moulded cones duly painted in reflective colours to be used as a fence when the vehicle breaks down and minor repairs like replacement of tyres, fuses/bulbs till it is removed from that site.

The above items shall be supplied by the vehicle manufacturer at the time of sale of the vehicle.

5)Halogen bulbs with P45t cap shall not be used for head lights on all vehicles. Wattage of halogen bulbs shall not exceed 70/75W for 24V and 60/65 for 12V systems."

25. In form 20, appended to the principal rules, in the entry against item No.24, for the words "Number, description, and size of tyres" the words "Number, descriptlon, size and ply rating of tyres.(This shall be same as those declared by the manufacturer)" shall be substituted

26. In Form 22A , appended to the principal rules, in Part I, for the words "Signature of the Manufacturer" the words "Signature of the Chassis Manufacturer" shall be substituted

27. In form 23, appended to the principal rules, in the entry against item No.17, for the words "Number, description and size of tyres", the words

"Number, description, size and ply rating of tyres.(This shall be same as those declared by the manufacturer)" shall be substituted.

28. For Annexure IV of the principal rules, the follwoing Annexiure shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE - IV

(See rule 115(4)

LIMIT VALUES OF EXHAUST GAS OPACITY APPLICABLE FOR DIESEL DRIVEN VEHICLES THE ENGINE TESTS AT STEADY SPEED.

Nominal flow G (l/s)	Light Absorption Coefficiernt K(l/m)	N ominal flow G (l/s)	Light Absorption Coefficient K(l/m)
Upto & including 42	2.26	120	1.37
45	2.19	125	1.345
50	2.08	130	2 55
55	1.985	135	1.3
60	1.9	140	1.27
65	1.84	145	1.25
70	1.775	150	1.225
75	1.72	155	1.205
80	1.665	160	1.19
85	1.62	165	1.17
90	1.575	170	1.155
95	1.535	175	1.14
100	1. 495	180	1.125
105	1.465	190	1.095
115	1.395	195	1.08
		equal to and more than 200	1.065

The above standards shall not be applicable to agricultural tractors and the same for the agricultural tractors shall be notified at a later date.

[F. No. RT-11028/7/96-MVL]
K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road. Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997